न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस

प्रकरण संख्या:–01/2023

तारीख दायर–24.08.2023

तारीख–निर्णय–13.03.2026

1. श्री चेना पिता रामा मीणा निवासी मनावतपुरा (कालीभीत) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

.......अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कालु पिता चेना मीणा निवासी मनावतपुरा (कालीभीत) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री प्रथा पिता चेना मीणा निवासी मनावतपुरा (कालीभीत) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री भीमा पिता चेना मीणा निवासी मनावतपुरा (कालीभीत) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्रीमती सोवनी पत्नी चेना मीणा निवासी मनावतपुरा (कालीभीत) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी निर्णय ग्राम पंचायत कालीभीत नामान्तरण संख्या 206 दिनांक 07.02.2026

उपस्थित– अपीलान्ट की ओर से– अधिवक्ता श्री पुष्कर लाल मीणा

रेस्पोडेन्टगण ओर से–अनुपस्थित

–: :निर्णय : :–

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय विद्वान अधीनस्थ ग्राम पंचायत व पटवार हल्का का निर्णय न्याय एवं कानुन के विपरीत है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण खोलते वक्त बिना जांच किये नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात मनावपुरा (कालीभीत) में स्थित है, जो जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 42 व पुराना 46 में वर्णित आराजीयात 1339 रकबा 0.1188 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1647 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1657 रकबा 0.0972 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1719 रकबा 0. 2376 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1727 रकबा 0.5616 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1729 रकबा 0.2160 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1732/1 रकबा 1.8144 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। उक्त आराजियात अपीलाण्ट की मौरुसी सम्पति है। जो सकुडी पत्नी रामा से प्राप्त हुई वर्तमान में अपीलाण्ट जिवित है। ग्राम मनावतपुरा में अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम समान था जिसका चेना पिता रामा जी था, जबकी अपिलाण्ट की जमीन सकुडी पत्नी रामा से नाम पर आई और जिसकी मृत्यु चेना की हुई उसकी जमीन रामा पिता हरजी के नाम से आई जबकी अपीलाण्ट खाता संख्या 42 में वर्णीत आराजियात का कब्जा व काश्त करते आ रहें है। अपीलाण्ट के गांव में चेना पिता रामा की मृत्यु होने पर नामान्तरण खोलते समय ग्राम पंचायत कालीभीत व

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.

वार हल्का कालीभीत द्वारा बिना जांच किये ही अपीलाण्ट के आराजीयात में नामान्तरण खोल या जबकी अपिलाण्ट वर्तमान में जिवित है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट दोनो के पिता का नाम मान होने से ग्राम पंचायत कालीभीत ने गलत नामान्तरण खोल दिया जबकी अपील की कलम ख्या 02 में वर्णित आराजियात की भूमि में अपीलाण्ट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर ाश्त करते चले आ रहें हैं उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा नही रहा है। केवल पीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम समान होने से अपीलाण्ट के नाम दर्ज भूमि विरासत रेस्पोडेन्टगण के नाम पर दर्ज हो गई है। इसलिये अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्ण निरस्त ग्ये जाने योग्य हैं। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर धीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्णय खारीज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये म्मन मय नकल अपील के तलब किये गये। रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना के न्यायालय में नुपस्थित रहै। तत्पश्चात अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई अपीलाण्ट अधिवक्ता ने पनी बहस में वही कथन किये जो अपील में वर्णीत है। उक्त अपील में तहसीलदार लसाडिया ो रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल कालीभीत के जस्व ग्राम मनावतपुरा के खाता संख्या 42 में नामान्तरकरण संख्या 206 दिनांक 21.01.2022 (आराजी नम्बर 1339, 1647, 1657, 1719, 1727, 1729, 1732/1, किता-7 कुल रकबा 3. 428 हैक्टेयर भूमि , खाता संख्या 46 में वर्णित आराजी नम्बर 1797/4 रकबा 0.8640 हैक्टेयर ूमि एवं खाता संख्या 52 में वर्णित आराजी नम्बर 1799 रकबा 0.0756 हैक्टेयर भूमि, खाता ंख्या 85 में वर्णित आराजीयात 1323, 1333, 1334, 1341, 1354, 1733, 1736, 1738, 1743, 744, 1748, 1753, 1790, 1793, 1794, 1797/1, 1801, 1802, 1804/1, 1805, 1809, 1811, 812, 1813, 1814, 1816, 1817, 1819, 1820, 1821, 1822, 1826, 1847, 1848, 1849 किता 5 कुल रकबा 15.0228 हैक्टेयर भूमि के विरासत का नामान्तरकरण मृतक खातेदार चेना पिता ामा के वारिसान के नाम दर्ज कर दिया गया । राजस्व ग्राम मनावतपुरा में चेना पिता रामा ौर चेना दत्तक पुत्र रामा के नाम से दो खातेंदार जिसमें से चेना पिता रामा की मृत्यु हो चुकी है। विरासत नामान्तरकरण संख्या 206 राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करते समय सहवन से चेना दत्तक पुत्र रामा की आराजी नम्बर 1339, 1647, 1657, 1719, 1727, 1729, 1732/1, किता-7 कुल रकबा 3.1428 हैक्टेयर भूमि पर भी नामान्तरकरण दर्ज हो गया। वर्तमान में चेना दत्तक पुत्र रामा जीवित है और आराजी नम्बर 1339, 1647, 1657, 1719, 1727, 1729, 1732/1, किता-7 कुल रकबा 3.1428 हैक्टेयर भूमि पर काश्त कर रहा है। तहसीलदार लसाडिया की जांच रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट साबित पाये जाने से स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत कालीभीत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 206 दिनांक 07.02.2022 को निरस्त किया जाता है पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लसाडिया को रिमांण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है की दोनो पक्षों की सुनवाई की जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करें। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश आचार्य RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)